

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया।

पत्रांक: आ०लि०/८२०३-०६ / 2013-14

दिनांक - ३१-१२-२०१

सेवा मे,

प्रबन्धक,

महर्षि वशिष्ठ विद्यापीठ, उसरा बाजार, देवरिया

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2010 के नियम 16 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं महर्षि वशिष्ठ विद्यापीठ, उसरा बाजार, देवरिया को दिनांक 31.12.2013 से दिनांक 30.12.2016 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा न०८ से कक्षा ०८ तक अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता का प्रदान करने की संसूचना देता हूँ:-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा ८ के बाद मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति न०८ कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
  - i. प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा : के फल नहीं किया जाएगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
  - iii. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तिता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के प्राप्ति के लिए अधिकार अवृत्ति अहंताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगी।

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।

Dr. Amita Srivastava  
Principal  
Vidya Bhawan Bazar

CHIEF  
MANAGER  
SCHOOL  
INDUSTRIAL  
PARK  
N.Y.U.T.M.  
U.P. 244531  
S.S.C. की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास उस अधिनियम के प्रारम्भिक अनुसार अहंताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगी।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल  
 कुल निर्मित क्षेत्र  
 क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल  
 कक्षाओं की संख्या  
 प्राच्यापक-सह-कार्यालय-सह-भृंडारागार के लिए कक्ष  
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय  
 पेयजल सुविधा  
 मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई  
 बाधारहित पहुँच  
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता  
 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- विद्यालयों भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  - विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
  - स्कूल को किसी व्यष्टि व्यक्तिओं के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
  - विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
  - आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 07 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
  - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है तो जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धि शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
  - सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
  - संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
  - किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता बिना नोटिस के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

*महाराष्ट्र राज्य*  
 CHAIRMAN  
 MAHARSHI VASHISHTHA VIDYAPEETH  
 A-1, INDUSTRIAL AREA  
 USRA BAZAR - DEORIA

भवदीय  
 (एफ) प्र० अंसारी  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 उपदेवरिया।

पृष्ठा 00/00/0000 / 2013-14 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सहायक शिक्षा निदेशक(ब०), सप्तम मण्डल, गोरखपुर
- जिला समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया
- जिला अल्प संख्यक/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, देवरिया
- खण्ड शिक्षा अधिकारी....., जनपद-देवरिया

Dr. Anrita Srivastava  
 Principal  
 Maharshi Vashishtha Vidyapeeth  
 A-1, Industrial Area, Usra Bazar  
 Deoria